न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 82/2024 — निर्णय दिनांक 18/02/2026

जीसीएमएस नम्बर 2024/181

खिंवकरण पुत्र श्री राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. अमिता पुत्री श्री राधेश्याम 2. कुसुम पुत्री श्री राधेश्याम 3. प्रियंका पुत्री श्री राधेश्याम 4. मुकेश पुत्र श्री राधेश्याम 5. मोनू पुत्री श्री राधेश्याम 6. शारदा पुत्री श्री राधेश्याम 7. सुदा पुत्री श्री राधेश्याम 8. सविता पुत्री श्री राधेश्याम 9. भंवरीदेवी पत्नी श्री राधेश्याम 10. मनोजकुमार पुत्र श्री बद्रीराम 11. हरिकिशन पुत्र श्री बद्रीराम जातिगण ब्राहम्ण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक वादी।
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 11
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एंव धारा 136 एलआरए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य हैं और स्वर्गीय बद्रीराम के वंशज है। बद्रीराम जी के तीन पुत्र वादी के पिता राधेश्याम व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 है । वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 की संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि खाता संख्या नया 582 अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 1339 क्षेत्रफल 3.1200 हैक्टेयर, खाता संख्या 794 अन्तर्गत खसरा नम्बर 1006 क्षेत्रफल 5.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 क्षेत्रफल 8.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 क्षेत्रफल 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 क्षेत्रफल 2.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 575 अन्तर्गत खसरा नम्बर 808 क्षेत्रफल 7.2300 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित हैं। उक्त कृषिभूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 की पैतृक भूमि हैं। वादी का वास्तविक नाम खिवकरण पुत्र श्री राधेश्याम हैं जबकि उक्त खसरान की जंमाबन्दी खाता संख्या 582, 575 में में वादी का नाम सोनू पुत्र राधेश्याम व खाता संख्या 794 में सोनू पुत्री राधेश्याम अंकित है। वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं और वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी का बोलचाल का घरेलू नाम सोनू दर्ज करवा दिया और संबंधित राजस्व मुलाजिम द्वारा खाता संख्या 794 में वादी को स्त्री मानते हुए सोनू पुत्री राधेश्याम अंकन कर दिया । वादी का वास्तविक नाम खिवकरण हैं और जमाबन्दी में वादी के खातेदारी खेतो में सोनू पुत्र राधेश्याम, सोनू पुत्री राधेश्याम अंकन होने की वजह से उपरोक्त वादगत खेतो की कृषिभूमि को सुधार, केसीसी इत्यादि बनवानें के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचानपत्र दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंक तालिका मॉर्कशीट, वाहन चालन अनुज्ञापत्र, पेनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी का सही नाम खिवकरण की अंकित है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया। वादी साधारण किसान हैं जिसको इस बात की जानकारी तब हुई जब वादी अपने खेत पर केसीसी करवानें पटवारी हल्का के पास प्रमाणित जमाबन्दी लेने के लिए गया और पटवारी नें बताया की आपका नाम रिकार्ड में खिवकरण की बजाय सोनू अंकित हैं। इस बाबत वादी दिनांक 28.04.2023 को प्रतिवादी श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पेश होकर अपना नाम वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में सही करने का [illegible] किया परन्तु श्रीमान् तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा ऐसा किया जाना [illegible] कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही होना कहकर बिना किसी सक्षम न्यायालय [illegible] आदेश से ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया । राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन [illegible] के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा जब कि इसके विपरित सही नाम दर्ज नहीं [illegible] से वांदी को अपूर्णीय [illegible] होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादी के पास वादंगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम खिवकरण पुत्र राधेश्याम दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। वादगत खेत वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त का होने से वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.04.2024 को वादी का वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नही करने सें वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतु हासिल है। वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक दावा में राजस्थान राज्य को फोरमल आवश्यक पक्षकार संयोजित किया हैं और स्टेट से अन्य किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। राज्य को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है । वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् की अनुमति से यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । वादगत खेत रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने सें यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन हैं कि दावा बहक वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें–

(क) कि घोषित किया जावें कि खाता संख्या नया 582 अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 1339 क्षेत्रफल 3.1200 हैक्टेयर, खाता संख्या 794 अन्तर्गत खसरा नम्बर 1006 क्षेत्रफल 5.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 क्षेत्रफल 8.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 क्षेत्रफल 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 क्षेत्रफल 2.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 575 अन्तर्गत खसरा नम्बर 808 क्षेत्रफल 7.2300 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का नाम सोनू की जगह खिवकरण घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो जायें वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वादी का दावा स्वीकार किये जाने में अपनी अनापत्ति जाहिर की। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1139 तादादी 3.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 808 तादादी 7.2300 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में 'सोनू पुत्र राधेश्याम' एवं खसरा नम्बर 1006 तादादी 5.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 तादादी 8.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 तादादी 2.0500 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में 'सोनू पुत्री राधेश्याम' के स्थान पर 'खिंवकरण पुत्र राधेश्याम' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

खिंवकरण पुत्र श्री राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. अमिता पुत्री श्री राधेश्याम 2. कुसुम पुत्री श्री राधेश्याम 3. प्रियंका पुत्री श्री राधेश्याम 4. मुकेश पुत्र श्री राधेश्याम 5. मोनू पुत्री श्री राधेश्याम 6. शारदा पुत्री श्री राधेश्याम 7. सुदा पुत्री श्री राधेश्याम 8. सविता पुत्री श्री राधेश्याम 9. भंवरीदेवी पत्नी श्री राधेश्याम 10. मनोजकुमार पुत्र श्री बद्रीराम 11. हरिकिशन पुत्र श्री बद्रीराम जातिगण ब्राहम्ण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 82/2024

दावा बाबतः खाता घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 18/02/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बजरंग शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से श्री राजाराम नैण अधिवक्ता एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1139 तादादी 3.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 808 तादादी 7.2300 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में 'सोनू पुत्र राधेश्याम' एवं खसरा नम्बर 1006 तादादी 5.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 तादादी 8.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 तादादी 2.0500 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में 'सोनू पुत्री राधेश्याम' के स्थान पर 'खिंवकरण पुत्र राधेश्याम' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 02 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ़(बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested